उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 39 /XXVII(6)/2013
देहरादूनः दिनॉकः 18 जनवरी, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने को निदेश हुआ है कि भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देशों के अनुपालन में गत पॉच वर्षों से उपकोषागारों में स्थापित करेंसी चेस्टों को वापस बैंकों को हस्तान्तरित करके सभी को बैंकिंग उपकोषागार (कैश रहित) में परिवर्तित करने, भविष्य में सभी प्रकार के भुगतानों को चेक के माध्यम से संबंधितों के बैंक खातें में सीधे जमा करने, राष्ट्रीय ई–गवर्नेस के अन्तर्गत मिशन मोड के अधीन भविष्य में भुगतानों को चैक के स्थान पर ई–मोड में किये जाने एवं राज्य में आरम्भ की गयी ई–स्टांपिग की प्रक्रिया के दृष्टिगत राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक/सिंगल लॉक कक्ष तथा खजाने की अभिरक्षा हेतु प्रत्येक उपकोषागार में तैनात पुलिस गारद की वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत् परिवर्तन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1 राज्य के 13 जनपदीय सदर कोषागार एवं अन्य 05 कोषागार (रूड़की, कोटद्वार, लैंसडाउन, नरेन्द्रनगर एवं हल्द्वानी) को छोड़कर शेष कोषागारों एवं उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

2 राज्य के 13 जनपदीय सदर कोषागार एवं अन्य 05 कोषागारों (रूड़की, कोटद्वार, लैंसडाउन, नरेन्द्रनगर एवं हल्द्वानी) में डबल लॉक/सिंगल लॉक कक्ष, पुलिस गारद एवं गार्डरूम की पुरानी व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जायेगा।

3 कोषागारों एवं उपकोषागारों में डबल लॉक कक्ष, सिंगल लॉक कक्ष की उपरोक्त व्यवस्था को समाप्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान में संचालित उपकोषागारों को यथा आवश्यक भुगतान एवं लेखा कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यहां स्थापित डबल लाक/सिंगल लॉक/गार्डरूम को समान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।

4 कोषागारों एवं उपकाषागारों में स्टांप एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंकों में प्रयोग की जाने वाले दो चाबी वाली सेफ का क्रय करके किया जायेगा।

5 कोषागारों एवं उपकोषागार एवं यहां स्थापित सेफ में रक्षित स्टांप, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी या डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कंपनियों से इसका बीमा कराया जायेगा।

6 कोषागारों एवं उपकोषागारों में डबल लाक कक्ष/सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु वर्तमान में तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

7 भविष्य में जब कोषागारों एवं उपकोषागार हेतु भवन निर्माण किया जाय तो उसमें डबललॉक/सिंगल लॉक कक्ष के निर्माण की अनिवार्यता नहीं होगी। यहां स्टांप एवं नकदी का भण्डारण एवं अभिरक्षा हेतु बैंकों में प्रयोग की जाने वाली 02 चाबी वाली सेफ का क्रय किया जायेगा।

8 वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से कोषागारों एवं उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों में रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लिकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जायेगा।

2– उपरोक्त के क्रम में निदेशक कोषागार को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्संबंधी मैनुअल एवं वित्तीय नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुश्चित करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /XXVII (6)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मो0बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, निदेशालय पुलिस, सुभाष रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना प्रौद्यौगिकी अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय एकक देहरादून।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।